

उत्तर प्रदेश शासन
संवर्धन वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0पी0-2-905/ग्यारह-9(65)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(135)-2015
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, वर्ष 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 07 जुलाई, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 13 की प्रविष्टि में अर्द्धविराम और शब्द
" ; सोलर इनर्जी डिवाइसेस, सोलर इनर्जी इक्विपमेंट्स एवं उनके पार्ट्स"
अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 108 पर दी गयी प्रविष्टि के
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"108- रिव्यूडबल इनर्जी डिवाइसेस एण्ड स्पेयर पार्ट्स जो किसी अन्य अनुसूची
में सम्मिलित न हो "

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।